सौर थर्मल पीवी ग्रिड से संयोजित निजी क्षेत्र पावर उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दिशानिर्देश

सौर थर्मल पावर उत्पादन परियोजनाओं की जोखिम धारणा को ध्यान में रखते हुए, पीएफसी निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा करने की प्रत्याशा में सौर थर्मल पीवी ग्रिड से संयोजित निजी क्षेत्र पावर उत्पादन परियोजनाओं को वित्त सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकता है :-

1) 5 (पांच) मेगावाट न्यूनतम आकार की सौर थर्मल पीवी ग्रिड से संयोजित सभी निजी क्षेत्र पावर उत्पादन परियोजनाओं को मूल्यांकन/वित्तपोषण करने के लिए विचार किया जाएगा।

2) इस नीति के तहत केवल उन परियोजना का वित्तपोषण किया जाएगा, जिन्होंने विगत एक वर्ष में नकद लाभ वाली वाली कंपनियों, जिसके वार्षिक लेखे (लेखापरीक्षित/अनंतिम) उपलब्ध हो या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम), उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) आदि जैसी केन्द्रीय योजना में कवर हो, के साथ हस्ताक्षर किए गए पीपीए की सीमा तक सीमित होगा।

3) परियोजना का ऋण इक्विटी (डी/ई) अनुपात 70:30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (अर्थात् इक्विटी, परियोजना लागत के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी)।

4) उधारकर्ता को निम्न इक्विटी का योगदान करना होगा :-

   क) ई1, ई2 व ई3 रेटिंग वाली परियोजनाओं को - कुल इक्विटी का 50 प्रतिशत लाना होगा। शेष 50 प्रतिशत, ऋण इक्विटी अनुपात के अनुपात में होगा ।

   ख) ई4 रेटिंग वाली परियोजनाओं को - कुल इक्विटी का 75 प्रतिशत लाना होगा। शेष 25 प्रतिशत, ऋण इक्विटी अनुपात के अनुपात में होगा ।

   ग) ई5 रेटिंग वाली परियोजनाओं को - कुल इक्विटी का 100 प्रतिशत लाना होगा।

5) ऋण अवधि के लिए संपूर्ण उत्पादन का पावर क्रय करार (पीपीए) करना होगा, जो कि पीएफसी ऋण भुगतान अवधि से कम नहीं होगी।

6) सौर थर्मल पीवी ग्रिड से संयोजित निजी क्षेत्र पावर उत्पादन परियोजनाओं के लिए परियोजना रेटिंग हेतु व्यापक मानदण्ड के आधार पर गणना की गई एकीकृत रेटिंग(जिसमें पीएफसी की श्रेणी एफ1 है) के अनुसार जमानत प्रतिभूतियों की आवश्यकता होगी ।

7) परियोजाओं की एकीकृत रेटिंग के अनुसार सभी मामलों में निम्नलिखित अतिरिक्त जमानत प्रतिभूतियां प्राप्त की जाएगी :-

क) उधारकर्ता/प्रमोटर कंपनी के दो व्यक्तिगत प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी या सूचीबद्ध कंपनी के न्यूनतम दो प्रमोटर निदेशकों या कॉर्पोरेट गारंटी या प्रमोटर कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी की आवश्यकता होगी ।

ख) सौर थर्मल पावर परियोजनाओं के उधारकर्ताओं को परियोजना की सीओडी से पूर्व पूर्व अवधि के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन खाते में न्यूनतम 2 तिमाहियों हेतु डीएसआरए अनुरक्षित करना होगा (2 तिमाहियों के संदर्भ में मूल धनराशि सहित अनंतिम मांग)। इस प्रकार के डीएसआरए को परियोजना लागत नहीं माना जाएगा तथा इसे संवितरण की अंतिम किश्त जारी करने से पूर्व लाया जाएगा, जो कि स्वीकृत ऋण राशि के 5 प्रतिशत से कम नही होगा।

8) यदि सौर थर्मल पीवी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अलावा किसी अन्य नीति के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है, जिसमें ऐसी योजनाओं के पीपीए को समाप्त करने का प्रावधान है तो, पीएफसी कुछ अतिरिक्त प्रतिभूति जैसे प्रमोटरों की विद्यमान परिसंपत्तियों पर द्वितीय प्रभार या कुछ अन्य आय स्रोत या परियोजना मूल्यांकन आधार पर स्वीकार्य अन्य कोई प्रतिभूति प्राप्त करेगा ।

9) ऋण अदायगी के लिए अधिस्थगन अवधि एक वर्ष तक हो सकती है। तथापि परियोजना के मूल्यांकन के आधार पर अधिस्थगन अवधि निर्धारित की जा सकती है परंतु ब्याज की अदायगी के लिए कोई अधिस्थगन अवधि नहीं होगी ।

****